

384



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)  
(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई०

फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 113/XXXVI(3)/2024/18(1)/2024

देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा० राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2024’ प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 01, वर्ष- 2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2024

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2024)

(भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बंद, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यहृत करने और उसकी निरन्तरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने और लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली का उपबन्ध करने और हुई क्षतियों का अनुसंधान करने और तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने के लिए,

## अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है, और राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

अध्याय-एक  
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2024 है। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
परिभाषाएँ	2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में- (क) "दावा आयुक्त" से अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया जायेगा; (ख) "दावा अधिकरण" से इस अध्यादेश के अधीन गठित कोई दावा अधिकरण अभिप्रेत है; (ग) "क्षतियों" से लोक सम्पत्ति अथवा अन्य व्यक्ति व उसकी सम्पत्ति के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा कृत किसी कार्य या चूक के कारण हुई हानि, आघात या क्षय अभिप्रेत है; (घ) "रिश्ति" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 में है; (ङ) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 11 में है; (च) "निजी सम्पत्ति" से किसी व्यक्ति या धार्मिक निकाय, सोसायटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है जो इस अध्यादेश की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन लोक सम्पत्ति

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

	<p>न हो या ऐसे फर्मों, जिन पर उनके स्वामियों का अनन्य, आत्यांतिक, विधिक अधिकार हो;</p> <p>(छ) "लोक सम्पत्ति" से कोई चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है और जिसमें ऐसी कोई मशीनरी सम्मिलित है जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो:-</p> <p>(एक) केन्द्र सरकार, या</p> <p>(दो) राज्य सरकार; या</p> <p>(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या</p> <p>(चार) कोई निगम या किसी राज्य अध्यादेश द्वारा या तत्धीन स्थापित कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा परिभाषित कोई कम्पनी; या</p> <p>(पाँच) कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे</p> <p>परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम को इस उपखण्ड के अधीन तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम का पूर्णतः या पर्याप्त वित्त पोषण, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से और केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में उपबन्धित निधियों द्वारा नहीं किया जाता है।</p>
<p><b>अध्याय-दो</b></p>	
<p><b>दावा याचिका, वाद पुनरीक्षण और अनुसंधान</b></p>	
<p>लोक या निजी सम्पत्ति के लिए दावा याचिका</p>	<p>3. सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट, जो घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित हो और इस दौरान एकत्रित की गयी अन्य सूचना प्राप्त किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यालय प्रमुख को लोक सम्पत्ति के प्रति क्षति किये जाने के दिनांक के अधिमानतः तीन माह के भीतर प्रतिकर हेतु दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दाखिल करने के लिए तुरन्त कदम उठाना होगा।</p>
<p>वादों का पुनरीक्षण</p>	<p>4. यथास्थिति जिला कलेक्टर या आयुक्त त्रैमासिक आधार पर प्रतिकर हेतु वादों का दाखिल किये गये दावा वादों के संचालन का पुनरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।</p>
<p>वादों का अनुश्रवण</p>	<p>5. विभागाध्यक्ष प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा के संचालन और निस्तारण का अनुश्रवण करेगा और कार्यालयाध्यक्ष को समय-समय पर आवश्यक निदेश देगा।</p>
<p>निजी सम्पत्ति हेतु दावा याचिका</p>	<p>6. निजी सम्पत्तियों के स्वामी, जिनकी सम्पत्ति भी ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी से ऐसी रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिकर हेतु अपनी दावा याचिकायें नियमानुसार दाखिल करेंगे।</p>
<p><b>अध्याय-तीन</b></p>	
<p><b>दावा अधिकरण, कृत्य और शक्तियां</b></p>	
<p>दावा अधिकरण का गठन</p>	<p>7. (1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी लोक सम्पत्ति या निजी</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा कार्यालय  
उत्तराखण्ड

	<p>सम्पत्ति या दोनों की क्षतियों के सम्बन्ध में प्रतिकर हेतु दावों का न्यायनिर्णयन करने और उसे इस अध्यादेश के अधीन समानुदेशित कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक या उससे अधिक सम्पत्ति क्षय दावा अधिकरणों का गठन करेगी, जिसे आगे दावा अधिकरण कहा गया है।</p> <p>(2) दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु उतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे और जहाँ उसमें दो या दो से अधिक सदस्य हों वहीं उनमें से एक सदस्य की नियुक्ति उसके अध्यक्ष के रूप में की जायेगी।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह—</p> <p>(एक) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश न रहा हो (अध्यक्ष के रूप में); या (दो) अपर आयुक्त की श्रेणी का अधिकारी न हो (सदस्य के रूप में)</p> <p>(4) जहाँ दो या उससे अधिक दावा अधिकरण किसी क्षेत्र के लिए गठित किये जायें वहाँ राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके मध्य कार्य आवंटन का विनियमन कर सकती है।</p>
दावा अधिकरण के कृत्य और शक्तियाँ	<p>8. (1) धारा 3 के अधीन घटित घटनाओं में किसी लोक या किसी निजी सम्पत्ति के कारण हुई क्षतियों का अवधारण करना और तत्सम्बन्ध में समुचित प्रतिकर अधिनिर्णीत करना दावा अधिकरण का कर्तव्य होगा।</p> <p>(2) दावा अधिकरण, यदि उचित समझे जाँच आयोजित करने में अपनी सहायता हेतु क्षतियों का आकलन करने और दायित्व का अनुसंधान करने के लिए एक दावा आयुक्त नियुक्त कर सकता है।</p> <p>(3) दावा अधिकरण यथास्थिति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल से दावा आयुक्त, जो ऐसी-क्षति का आकलन करने में प्राविधिक रूप से अर्ह हो, की सहायता करने के लिए एक आकलनकर्ता भी नियुक्त कर सकता है।</p> <p>(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले पारिश्रमिक का अवधारण प्रत्येक दशा में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(5) दावा आयुक्त और आकलनकर्ता क्षतियों को इंगित करने और क्षति करने वालों के मध्य गठजोड़ स्थापित करने हेतु निजी और लोक स्रोतों से विद्यमान वीडियो या अन्य रिकार्डिंग एकत्रित करने के लिए दावा अधिकरण से अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>(6) दावा आयुक्त तीन माह की अवधि के भीतर अथवा बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, जो दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की गयी हो, के भीतर दावा अधिकरण को रिपोर्ट देगा। दावा अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् दायित्व का निर्धारण करेगा।</p> <p>(7) दावा अधिकरण इस निमित्त बनाये जाने वाले किन्हीं नियमों के अध्याधीन ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें।</p> <p>दावा अधिकरण के पास शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करने और साक्षीगण की उपस्थिति को प्रवर्तित करने और दस्तावेज तथा सारवान वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजनार्थ और यथाविहित अन्य प्रयोजनों के</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

	लिए सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होंगी और दावा अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय के रूप में समझा जायेगा।
<b>दावा अधिकरण की प्रक्रिया</b>	
प्रतिकर हेतु आवेदन/दावा याचिका	<p>9.(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका, ऐसी न्यायालय फीस के साथ जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, 03 वर्ष के भीतर दाखिल की जायेगी।</p> <p>(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) में उल्लिखित आवेदन से भिन्न, समस्त आवेदन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित न्यायालयीय फीस स्टाम्प के साथ स्टाम्पित होंगे। प्रक्रिया फीस, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, समन किये गये प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए संदत्त न्यायालयीय फीस स्टाम्प के रूप में होगी।</p> <p>(3) इस धारा के अधीन कोई आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के पर्याप्त कारण से रोका न जाय, ऐसे मामले में इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।</p>
सम्पत्ति क्षति दावा का वाद हेतुक	10. लोक और निजी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाले कार्यों के उपाय प्रारम्भ करने के लिए वाद हेतुक होगा।
लोक तथा निजी सम्पत्ति हेतु प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही कौन प्रारम्भ कर सकता है और उसकी समय सीमा	<p>11. (1) जहाँ कहीं हड़ताल, बंद, दंगों, लोक उपद्रव या प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी सम्पत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहाँ इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के अधिमानतः तीन वर्ष के भीतर प्रतिवाद का दावा करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा:-</p> <p>(क) लोक सम्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व, बंद, हड़ताल, दंगा, लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान और उसके फलस्वरूप नष्ट हुई सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या कार्यालयाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा;</p> <p>(ख) निजी सम्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व, निजी सम्पत्ति का स्वामी, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी, जिसके पास अनन्य और आत्यातिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अतिचारी न हो, में निहित होगा,</p> <p>(ग) वैयक्तिक क्षति के लिए उत्तरदायित्व,-</p> <p>(एक) ऐसे व्यक्ति में निहित होगा, जो क्षतिग्रस्त हुआ हो, अथवा जहाँ मृत्यु, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि के कारण हुई हो; अथवा</p> <p>(दो) ऐसे अभिकर्ता में निहित होगा, जो यथास्थिति क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।</p> <p>(2) दावा अधिकरण किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या स्वयं अपनी जानकारी</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

	<p>पर स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है कि इस अधिनियम के अर्थात्गत क्षति हुई है।</p> <p>(3) दावा अधिकरण, दावा याचिका दाखिल करने में विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक तदनिमित्त युक्तियुक्त कारण दर्शाता है।"</p>
कौन प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित हो सकता है	12. सम्पत्ति क्षति के किसी दावा याचिका में यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या निजी सम्पत्ति का स्वामी क्षति के लिए क्षति दावा याचिका में दावेदार ऐसे व्यक्तियों को जो उनके ज्ञान में उक्त कार्यों का आह्वान किये हों अथवा उसे किये हों, ऐसे व्यक्तियों को जो पुलिस की रिपोर्ट में इस प्रकार नामित हो, उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिन्होंने विनाश या क्षति करने वाले कार्यों का आह्वान किया है या किया है, जिसने विरोध प्रदर्शन प्रायोजित किया हो, आह्वान किया हो या आहूत किया हो, को प्रतिवादियों के रूप में सम्मिलित कर सकता है।
पक्षकारों को नोटिस	13. दावा अधिकरण प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति के साथ आवेदन पर सुनवाई करने की तिथि की नोटिस भेजेगा। अधिकरण ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करेगा जो नोटिस की पर्याप्त तामील हो जाने के बाद अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल हो गया हो और अधिकरण सम्पत्ति को कुर्क कर लेगी और प्राधिकारियों को निर्देशित करेगा कि प्रतिवादी की सम्पत्ति क्रय न करने के लिए सार्वजनिक रूप में बृहद पैमाने पर चेतावनी सहित नाम, पता और सम्पत्ति की फोटोग्राफ प्रकाशित करें।
पक्षकारों का उपस्थित होना और लिखित विवरण दाखिल किया जाना	14. प्रतिवादी प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या दावा अधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे अग्रोत्तर समय के भीतर, जो नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद की नहीं होगी; दावा याचिका में दावाकृत क्षतियों को व्यवहृत किये जाने के सम्बन्ध में लिखित कथन दाखिल करेंगे और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख का अंग होगा।
साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की पद्धति	15. दावा अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सम्यक् अनुपालन के साथ उक्त मामले में विनिश्चय करेगा और शपथपूर्वक साक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है तथा यथा अपेक्षित रूप में दस्तावेज की माँग कर सकता है।
स्थानीय निरीक्षण	16. दावा अधिकरण अपने समक्ष किसी जाँच के किसी प्रक्रम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस के पश्चात् ऐसे घटना स्थल या किसी अन्य स्थल या ऐसी वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जो उसकी राय में दावा याचिका के समुचित विनिश्चय के लिए अवलोकन हेतु आवश्यक हो।
सुनवाई का स्थगन	17. दावा अधिकरण समय-समय पर किसी पक्षकार के आवेदन पर अथवा अन्य रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सुनवाई स्थगित कर सकता है। जब आवेदन पर स्थगन स्वीकृत किया जायेगा तो दावा अधिकरण स्थगन से सम्बन्धित खर्चों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसाकि वह उचित समझे। किसी भी स्थिति में एक पक्षकार को तीन से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा : परन्तु यह कि दावा अधिकरण बाद बिन्दु विरचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर तत्परतापूर्वक दावा याचिका पर विनिश्चय करेगा।
विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थिति	18. दावा अधिकरण स्व-विवेक से मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को स्वयं अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अनुज्ञा दे सकता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विभाग

<p>निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय</p>	<p>19. (1) दावा अधिकरण आदेश पारित करने में अपने निर्णय में प्रत्येक विरचित बिन्दु का निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष का कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनिर्णय करेगा और व्यक्ति या व्यक्तियों को यथा-स्थिति संयुक्त या अलग-अलग प्रतिकर संदाय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करेगा :</p> <p>परन्तु यह कि दावा अधिकरण अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से संदत्त किये जाने योग्य प्रतिकर की दुगुनी धनराशि की अनधिक सीमा तक "अनुकरणीय क्षति" अधिनिर्णीत कर सकता है,</p> <p>परन्तु अग्रेत्तर यह कि यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या बीमा कम्पनी या इस निमित्त किसी अन्य अधिकरण द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त निजी सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर के रूप में किसी धनराशि का भुगतान किया गया हो तो दावा अधिकरण ऐसी धनराशि का समायोजन इस प्रकार अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि से करेगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि प्रतिकर की धनराशि घटना के दिनांक को क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम नहीं होगी।</p> <p>(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दो या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाय वहाँ दावा अधिकरण को उनमें से प्रत्येक के लिए संदेय धनराशि को भी विनिर्दिष्ट करना होगा।</p> <p>जैसे ही क्षति हेतु वसूली का आदेश पारित किया जाय, वैसे ही प्रतिवादी की सम्पत्ति कुर्क कर ली जाय और प्राधिकारियों को निदेशित किया जायेगा कि वे कुर्क की गयी सम्पत्ति क्रय न करने के लिए वृहद पैमाने पर सार्वजनिक रूप में चेतावनी सहित नाम, पता तथा सम्पत्ति की फोटोग्राफ प्रकाशित करें।</p> <p>(3) प्रतिकर हेतु दावा का निस्तारण करते समय दावा अधिकरण कार्यवाही में उपगत लागतों और व्ययों से सम्बन्धित ऐसे आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।</p> <p>(4) किसी व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम सात लाख रुपये होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम दो लाख रुपये होगी।</p> <p>(5) जब इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाये तब ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसे अधिनिर्णय के सम्बन्ध में किसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा की जाय, को दावा अधिकरण द्वारा ऐसे अधिनिर्णय के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से अधिनिर्णीत, जैसा कि दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे, सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।</p> <p>(6) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, ऐसे व्यक्ति, जिसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, के किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जायेगी।</p>
<p>ब्याज का अधिनिर्णय, जहाँ कोई दावा अनुज्ञात हो</p>	<p>20. जहाँ इस अध्यादेश के अधीन कोई दावा अधिकरण, प्रतिकर हेतु किसी दावा की अनुज्ञा प्रदान करे वहाँ ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त साधारण ब्याज भी इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दावा के दिनांक के पश्चात् के दिनांक से संदत्त किया जायेगा।</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सेवा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

सम्पत्ति की क्षति की मात्रा को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त एवं उसके उत्तरदायित्व	<p>21. (1) एक बार घटना के साथ अन्तर्सम्बन्ध, जिसके कारण क्षति हुई हो, स्थापित हो जाने पर आत्यंतिक दायित्व के सिद्धान्त लागू होंगे।</p> <p>(2) दायित्व का बहन, वास्तविक अपराध करने वालों के द्वारा किया जायेगा अथवा जो दुष्प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करेगा, दायित्व के लिए भागीदार होगा, जैसा कि दावा अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जायेगा।</p> <p>(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा:—</p> <p>(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति, (दो) निजी सम्पत्ति की क्षति, (तीन) वैयक्तिक क्षति, (चार) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियों करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत।</p> <p>(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि किसी व्यक्ति को किसी घटना के कारण कोई ऐसी क्षति या क्षतियाँ हुई हों, जिसमें:—</p> <p>(क) किसी नेत्र की दृष्टि का या किसी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेदन होना; या</p> <p>(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी होना, या</p> <p>(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विदूषण होना, सम्मिलित हों, तो ऐसी निःशक्तता, स्थायी निःशक्तता मानी जायेगी।</p>
अन्तिम अधिनिर्णय	<p>22. दावा अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अधिनिर्णय अन्तिम होगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील संपोषणीय नहीं होगी।</p>
भू-राजस्व के बकायों के रूप में धनराशि की वसूली	<p>23. जहाँ कोई धनराशि किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति के लिए देय हो, वहाँ दावा अधिकरण, धनराशि के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा उसे किये गये आवेदन के आधार पर कलेक्टर को धनराशि हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और कलेक्टर उसकी वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करने के लिए कार्यवाही करेगा।</p>
सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक	<p>24. जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया हो वहाँ किसी सिविल न्यायालय के पास कोई ऐसी अधिकारिता नहीं होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से सम्बन्धित किसी प्रश्न को अंगीकृत करे जो कि उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाना हो और प्रतिकर हेतु दावा के सम्बन्ध में दावा अधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा कृत या किये जाने हेतु किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई व्यादेश सिविल न्यायालय द्वारा नहीं प्रदान किया जायेगा।</p>
दाण्डिक कार्यवाहियों द्वारा रोक नहीं	<p>25. दावा याचिका की कार्यवाहियों, दाण्डिक कार्यवाही, यदि कोई हो जो सम्बन्धित घटना से उत्पन्न हुयी हो, द्वारा अवरुद्ध नहीं होगी।</p>
<b>अध्याय—चार</b> <b>प्रकीर्ण</b>	
नियम बनाने की शक्ति	<p>26. राज्य सरकार इस अध्यादेशके प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड



कठिनाई दूर करने की शक्ति	<p>27. (1) यदि इस अध्यादेशके उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार किसी अधिसूचित आदेश द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करनेके लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।</p> <p>(2) इस अध्यादेशके प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।</p> <p>(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा-23क की उपधारा (1) के उपबन्ध यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जायेंगे।</p> <p>(4) जहाँ अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी विषय में यह अध्यादेश मूक हो वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध तत्सम्बन्ध में लागू होंगे।</p>
निरसन और व्यावृत्तियां	<p>28.(1) इस अध्यादेशके प्रख्यापन के साथ कोई अन्य विद्यमान विधि या इस अध्यादेशके अनुरूप शासनादेश एतद्वारा निरसित किये जाते हैं और निम्नगामी घोषित किये जाते हैं:</p> <p>परन्तु यह कि इस अध्यादेशके उपबन्धों के अध्याधीन निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,</p> <p>(क) किन्हीं ऐसे शासनादेशों या विधि या तदधीन सम्यक् रूप से कृत या उपभुक्त किसी बात का पूर्ववर्ती प्रवर्तन,</p> <p>(ख) ऐसे शासनादेश या विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;</p> <p>(ग) ऐसे शासनादेश या विधि के विरुद्ध कृत किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शारित, समपहरण या दण्ड;</p> <p>(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, शारित, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय और कोई ऐसा अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकता है और कोई ऐसी शारित समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, मानों, ऐसा शासनादेश या विधि निरसित न की गयी हो।</p> <p>(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) द्वारा निरसित किसी शासनादेश या विधि के अधीन कृत कोई बात या कोई कार्यवाही इस अध्यादेशके सहवर्ती उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी और तदनुसार तब तक निरन्तर प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अध्यादेशके अधीन कृत किसी बात या कृत किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।</p>

ले.ज. गुरमीत सिंह,

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,

वीएसएम (से.नि.)

राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

नितिन शर्मा,

प्रमुख सचिव।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा कार्यालय  
उत्तराखण्ड

No. 113/XXXVI(3)/2024/18(1)/2024  
 Dated Dehradun, March 16, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance, 2024 (Uttarakhand Ordinance No.01 of 2024).

As promulgated by the Governor on 15<sup>th</sup> March, 2024.

**The Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance, 2024**

(Uttarakhand Ordinance No. 01 of 2024)

(Promulgated by the Governor in the 75<sup>th</sup> year of the Republic of India

An

Ordinance

to deal with all such acts of violence at public places and to control its persistence and escalation and to provide for recovery of damages to public or private property during hartal, bandh, riots, public commotion, protests or thereof, in respect of property and constitution of claims tribunals to investigate the damages caused and to award compensation related thereto,

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
 विधान सभा सचिवालय  
 उत्तराखण्ड

394

CHAPTER-I  
PRELIMINARY

<p>Short title, extent and commencement</p>	<p>1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance, 2024. (2) It extends to the whole of Uttarakhand. (3) It shall come into force at once.</p>
<p>Definitions</p>	<p>2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires:- (a) "Claims Commissioner" means an officer not below the rank of Additional District Magistrate designated by the State Government; (b) "Claims Tribunal" means a Claims Tribunal constituted under this Ordinance; (c) "damages" means loss, injury, or deterioration, caused by any Ordinance or omission by any person towards public property or person and his property; (d) "mischief" shall have the same meaning as in section 425 of the Indian Penal Code; (e) "person" shall have the same meaning as in section 11 of the Indian Penal Code; (f) "private property" means a movable or an immovable property owned and controlled by any person or any religious body, society or trust or waqf, which is not public property under clause (g) of section 2 of this Ordinance, or firms over which their owners have exclusive and absolute legal right.; (g) "public property" means any property, whether movable or immovable and includes any machinery which is owned by, or in the possession of, or under the control of- (I) Central Government; or (II) the State Government; or (III) any local authority; or (IV) any corporation or a company as defined in Companies Act, 2013, established by; or under, a State Act; or (V) any institution, concern or undertaking which the State Government may, by notification in the <i>Gazette</i>, specify in this behalf: Provided that the State Government, shall not specify any other institution, concern or undertaking under this sub-clause unless such institution, concern or undertaking is financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the State Government or any other State Government or partially by the State Government and partially by the Central/State Government or any other State Government.</p>

CHAPTER-II

CLAIM PETITION, REVIEW OF CASES AND INVESTIGATION

<p>Claim petition for public or private property</p>	<p>3. On receipt of the report of concerned circle officer of police which is based on First Information Report of the incident and other information gathered in the meanwhile, the District Magistrate or the Head of office shall take immediate steps to file claim petition before the Claims Tribunal for compensation, preferably within three months of the date of causing of the damage to the public property.</p>
--	---

प्रमाणित प्रति

8

लोक सूचना अधिकारी  
विभाग  
देहरादून

Review of Cases	4. The District Collector or the Commissioner as the case may be, shall review the conduct of claim cases filed for compensation on a quarterly basis and send its report to the Government.
Monitoring of Cases	5. The Head of the Department shall monitor the conduct and disposal of claims filed for compensation and give necessary directions to the Head of office periodically.
Claim petition for private property	6. Private property owners, whose property had also been damaged in such incident, after getting a copy of such report from the SHO/SO concerned in such manner as per rules to file their Claim petitions for compensation.
<b>CHAPTER-III</b> <b>CLAIMS TRIBUNAL, FUNCTION AND POWERS</b>	
Constitution of Claims Tribunal	<p>7.(1) The State Government, by notification in the Gazette, constitute one or more damage property Claims Tribunal hereinafter referred to as Claims Tribunal for such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of damages to any public property or private property or both and to perform the functions assigned to it under this Ordinance.</p> <p>(2) Claims Tribunal shall consist of such number of members as the State Government may think fit to appoint and where it consists of two or more members, one of them shall be appointed as the Chairperson thereof.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment to Claims Tribunal unless he has been:-</p> <p>(i) a Retd. District Judge (as Chairperson), or</p> <p>(ii) an officer of Additional Commissioner Rank.(as Member)</p> <p>(4) Where two or more Claims Tribunals are constituted for any area, the State Government, may by general or special order, regulate the distribution of business among them.</p>
Functions and powers of the Claims Tribunal	<p>8. (1) It shall be the duty of the Claims Tribunal to determine the damages caused to a public or a private property in the incidents occurred under section 3 and to award suitable compensation related thereto.</p> <p>(2) The Claims Tribunal may, if it thinks fit, appoint a Claims Commissioner to estimate the damages and investigate liability to assist it in holding the inquiry.</p> <p>(3) The Claims Tribunal may, also appoint one Assessor in every district as the case may be to assist the Claims Commissioner who is technically qualified to assess such damage from the panel appointed by the State Government.</p> <p>(4) The remuneration, to be paid to the person or persons under sub section (2) and sub section (3) shall in every case be determined by the State Government.</p> <p>(5) The Claims Commissioner and the Assessor may seek instructions from the Claims Tribunal to summon the existing video or other recordings from private and public sources to pinpoint the damage and establish nexus with the perpetrators of the damage.</p> <p>(6) The Claims Commissioner shall make a report to the Claims Tribunal within a period of three months or within the extended time, if any, granted by the Claims Tribunal. The Claims Tribunal shall determine the liability after hearing the parties.</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

	<p>(7) The Claims Tribunals may, subject to any rules that may be made in this behalf, follow such summary procedure as it thinks fit.</p> <p>The Claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Claims Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).</p>
<p><b>PROCEDURE OF CLAIMS TRIBUNAL</b></p>	
<p><b>Application/Claim petition for compensation</b></p>	<p>9. (1) Every application/Claim Petition for compensation shall be filed within three years, accompanied by such court fee as may be prescribed by the State Government from time to time.</p> <p>(2) All applications, before the Claims Tribunal, other than application mentioned in sub-section (1) shall be stamped with a court-fee stamp prescribed by the State Government from time to time. Process fee in the form of court fee stamp shall, as may be prescribed by the State Government from time to time, be paid for each witness or party summoned.</p> <p>(3) An application under this section shall be presented before the Claims Tribunal by the petitioner unless he is prevented by sufficient cause from appearing personally, in such case the application may be presented by his agent authorized in writing in this behalf.</p>
<p><b>Cause of action to Claim damage to property</b></p>	<p>10. The cause of action for initiating steps would be acts causing damage to public and private property.</p>
<p><b>Who may initiate the action for claiming compensation for public and private property and its time limit</b></p>	<p>11. (1) Wherever a destruction, or loss or damage to public and private property takes place due to hartal, bandh, riots, public commotion or protests, the primary responsibility for initiating the action for claiming compensation before the Claims Tribunal of competent jurisdiction, constituted under this Ordinance, preferably within three years of occurrence of the incident shall be as follows:-</p> <p>(a) for public property, the responsibility would vest with the head of the Office exercising control over the property damaged during and as a result of the bandhs, strikes, riots, public commotion and protests etc. In the case of public sector undertakings, the head of the Office or the Chief Executive or any person authorized by the Head of Office or Chief Executive shall take necessary steps to file Claim Petition for compensation;</p> <p>(b) for private property, the responsibility would vest with the owner of the private property, his authorized representative or trustee having exclusive and absolute legal rights and who is not a trespasser of the property damaged;</p> <p>(c) for personal injury, the responsibility would vest with the,-</p> <p>(i) person who has sustained the injury; or where death has occurred, by all or any of the legal representatives of the deceased; or</p> <p>(ii) agent duly authorized by the person injured or all or any of the legal representatives of the deceased, as the case may be.</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा

397

14

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 16 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्)

	<p>(2) The Claims Tribunal may, upon information received from any person or upon its own knowledge, take <i>suo-moto</i> cognizance that damage, within the meaning of this Act, has occurred.</p> <p>(3) The Claims Tribunal may condone delay in filing the Claim Petition if the applicant shows reasonable cause for the same.</p>
Who may be joined as respondents	12. In a Claim Petition for damages to property, the Head of office or owner of the private property as the case may be and in a Claim Petition for damages for the injury, the claimant shall include as respondents, the persons who within his knowledge had exhorted, instigated or committed such acts, the persons who are so named in the report of the police, the names and designation of the person who exhorted or perpetrated the acts leading in the destruction or damages, who sponsored, called for or exhorted the agitation.
Notice to parties	<p>13. The Claims Tribunal shall send to the respondents a copy of application notice to parties together with a notice of the day on which it shall hear the application.</p> <p>The tribunal shall proceed ex-parte against the respondent who failed to appear before the tribunal despite timely serving of the notice and the tribunal shall attach the property and direct the authorities to publish the name, address along with the photograph of the property with a warning for public at large, not to purchase the property of the respondent.</p>
Appearance of parties and filing of written statement	14. The respondents, at or before the first hearing or within such further time as the Claims Tribunal may allow, which shall not be later than thirty days from the date of service of notices, file a written statement dealing with the damages claimed in the claim petition and any such written statement shall form part of the record.
Method of recording evidence	15. The Claims Tribunal shall decide the matter with due observance of natural justice and may also take evidence on oath and summon the document as required.
Local Inspection	16. The Claims Tribunal may, at any stage of an enquiry before it and after due notice to the parties visit and inspect the site of the incident or any other place or thing which in its opinion, is necessary to view for a proper decision of the claim petition.
Adjournment of hearing	<p>17. The Claims Tribunal may, for reasons to be recorded, on the application of a party or otherwise, adjourn the hearing from time to time. When adjournment is granted on application the Claims Tribunal may, make such order, as it thinks fit, with respect to the costs occasioned by the adjournment. In any case not more than three adjournments shall be given to a party:</p> <p>Provided that the Claims Tribunal shall decide the claim petition expeditiously and in any case within one year of the framing of the issues.</p>
Appearance through legal practitioner	18. The Claims Tribunal may, in its discretion, allow any party to appear himself before it through a legal practitioner during hearing of the case.
Judgment and award of compensation	19. (1) The Claims Tribunal, in passing order, shall record concisely in judgment the finding on each of the issues framed and the reasons for such finding and make an award, specifying the amount of compensation to be paid and shall also specify the person or persons jointly or severally separately as the case may be to whom compensation shall be payable:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिव  
उत्तराखण्ड

लोक सूचना अधिकारी

	<p>Provided that the Claims Tribunal may, for reasons to be recorded, award an 'Exemplary Damages' to an extent not exceeding double of the amount of the compensation liable to be paid:</p> <p>Provided further that if any amount as compensation has been paid, to the owner of the private property damaged in incident, by the State Government or Central Government or Insurance company or any other agency in this behalf, the Claims Tribunal shall adjust such amount from the amount of compensation so awarded:</p> <p>Provided also that the compensation shall not be less than the market value of the property damaged on the day of incident.</p> <p>(2) Where compensation is awarded to two or more person, under sub section (1) the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.</p> <p>As soon as the order of recovery for damage is passed the property of the respondent to be attached and authorities shall be directed to publish the name address along with the photograph of the property, with a warning for public at large not to purchase property attached.</p> <p>(3) The Claims Tribunal may while disposing of the claim for compensation, make such orders regarding costs and expenses incurred in the proceeding as it thinks fit.</p> <p>(4) The amount of compensation payable under sub-section (1) in respect of the death of any person shall be a minimum sum of Seven Lakh rupees and the amount of compensation payable under the said sub-section in respect of the permanent disablement of any person shall be a minimum sum of Two Lakh rupees.</p> <p>(5) When an award is made under this section, the person who is required to pay any amount in terms of such award shall, within thirty days of such award by the Claims Tribunal, deposit the entire amount awarded in such manner as the Claims Tribunal may direct.</p> <p>(6) A Claim for compensation under sub-section (1) shall not be defeated by reason of any neglect or default of the person in respect of whose death or permanent disablement the claim has been made and the quantum of compensation recoverable in respect of such death or permanent disablement shall not be reduced on the basis of the share of such person in the responsibility for such death or permanent disablement."</p>
<p><b>Award of interest where any claim is allowed</b></p>	<p>20. Where any Claims Tribunal allows a claim for compensation made under this Ordinance, such Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the claim as it may specify in this behalf.</p>
<p><b>Principles relating to assessing the amount of damage to property and its liability</b></p>	<p>21. (1) The Principles of absolute liability shall apply once the nexus with the event that precipitated the damage is established.</p> <p>(2) The liability will be borne by the actual perpetrators of the crime or instigate damage to or incites giving rise to the liability to be shared, as finally determined by the Claims Tribunal.</p> <p>(3) Damages shall be assessed for,-</p> <p>(i) Damages to public property;</p> <p>(ii) Damages to private property;</p> <p>(iii) personal injury;</p> <p>(iv) cost of the actions by the authorities and police to take preventive and other actions."</p> <p>(4) For the purposes of this Ordinance, if any person has suffered by reason of any incident, any injury or injuries involving.-</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सचिव

विभाग

	(a) permanent privation of the sight of either eye or the hearing of either ear, or privation of any member or joint; or (b) destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint; or (c) permanent disfiguration of the head or face; then such disablement shall be deemed to be permanent disablement.
<b>Finality of award</b>	22. Every Order or award passed by Claims Tribunal shall be final and no appeal finality of is maintainable against such order before any court.
<b>Recovery of money as arrear of land revenue</b>	23. Where any amount is due from any person under an award, the Claims Tribunal may, on an application made to it by the person entitled to the amount, issue a certificate for the amount to the Collector and the Collector shall proceed to recover the same in the same manner as an arrear of land revenue.
<b>Bar on jurisdiction of Civil Courts</b>	24. Where any Claims Tribunal has been constituted for any area, no Civil Court shall have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which may be adjudicated upon by the Claims Tribunal for that area, and no injunction in respect of any action taken or to be taken by or before the Claims Tribunal in respect of the claim for compensation shall be granted by the Civil Court.
<b>No Bar by criminal proceedings</b>	25. Proceedings of claim petition shall not be barred by the criminal proceeding, if any originated by the concerned incident.

## CHAPTER-IV

## MISCELLANEOUS

<b>Power to make rules</b>	26. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.
<b>Power to remove difficulty</b>	27. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Ordinance Power to the State Government may by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two year from the commencement of this Ordinance. (3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before the State Legislative Assembly and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in the State of Uttarakhand). (4) Where this Ordinance is silent on any subject of proceeding before tribunal, the provisions of civil procedure code shall apply on the same.
<b>Repeal and Savings</b>	28. (1) With the promulgation of this Ordinance any other existing law or Government orders corresponding to this Ordinance are hereby cancelled and declared ineffective: Provided that subject to the provisions of this Ordinance the repeal shall not effect:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड




	<p>(a) the previous operation of any such Government Orders or law or anything duly done or suffered there under;</p> <p>(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under such Government Order or law;</p> <p>(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against such Government Order or law;</p> <p>(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted or enforced and any such penalty, forfeiture, or punishment may be imposed as if such Government Order or law had not been repealed.</p> <p>Notwithstanding anything contained in the proviso to sub-section (1) anything done or any action taken under any Government Order or law repealed by sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under this Ordinance.</p>
--	--

LT. GEN. GURMIT SINGH,  
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.),  
GOVERNOR UTTARAKHAND.

By Order,

NITIN SHARMA,  
Principal Secretary.

प्रमाणित पति

  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा